

पत्रावली पेश की जा रही है

द्वयम या फार्मवाही मय तपुनसामान जय

दिनांक - 16/2/2003

संख्या व तारीख
सहकार्य की वृत्त
द्वयम की तारीख
में जारी हुए

8917

इसकाई तारीख पेशी देने पर आज
पत्रावली पेश हुई। पत्रावली फारिकेन
उपस्थित/पीडा, अधिकांती वीर/अन्य
कार्य में व्यस्त/भौतिक में है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 12-12-19 को
पेश हो।

Vinod

12/17

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय फारिकेन
उपस्थित/पीडा, अधिकांती वीर/अन्य
कार्य में व्यस्त/भौतिक में है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 7-3-16 को पेश हो।

8578 राजस्व लोक अदालत अभियान

न्याय आपके द्वार मय-2018
द्वयम संपूर्ण कारन संपूर्ण मय-2018
पत्रावली पेश की जा रही है। प्रकरण का अवलोकन किया गया।
अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण वर्ष
2000 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा
प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश
करने हेतु काफी अवसर दिये जाने के उपरान्त भी
जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर प्रकरण में
दिनांक 10.02.2003 को जवाब बन्द किया जाकर
प्रकरण को वास्ते बहस रखा गया था। इसके
पश्चात् प्रकरण अन्तिम बहस में लम्बित है।

Gm-

2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार
अभियान- 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक
अदालत के कैम्प- अजीतगढ़ के अटल सेवा केन्द्र
में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया।
अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण वर्ष
2000 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा
प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश
करने हेतु काफी अवसर दिये जाने के उपरान्त भी
जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर प्रकरण में
दिनांक 10.02.2003 को जवाब बन्द किया जाकर
प्रकरण को वास्ते बहस रखा गया था। इसके
पश्चात् प्रकरण अन्तिम बहस में लम्बित है।

Gm-

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही नय लघुहस्ताक्षर जज

बजरगलाल बनाम गोपाल चर्गी
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 42/2000 बी.टी. नं.232/2017

अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रकरण में अप्रार्थीगण को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 0.71 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ के 1/2 हिस्से दक्षिणी तरफ प्रार्थी के वैधानिक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प- अजीतगढ़ के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।

Gm.

(ब्रह्म लाल जाट)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:-अजीतगढ़